(3)

राजस्थान-सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर ।

क्रमांकः-एफ-8(1)(प्राशिनि/ई-1/सी-3/ 3031 दिनांकः-29/03/2004

प्रधानाचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
बीकानेर ।

विषयः- अतिथि प्रवक्ता को भुगतान करने बाबत् ।

महोदय,

विषयान्तर्गत आय व्ययक निर्णायक समिति (आयोजना) वर्ष 2000-2001 में लिये गये निर्णय (प्रति संलग्न) विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव क्रमांक 3585 दिनांक 27/05/2000(प्रति संलग्न) के क्रम में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति दिनांक 16/09/2000(प्रति संलग्न) अनुसार :-

1. पाठ्यक्रम में अतिथि प्रवक्ता की आवश्यकता हो परन्तु पद समाप्त कर दिया गया है ।
2. पद स्वीकृत व रिक्त हो ।
3. किसी विषय विशेष का पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन करवाया जाना आवश्यक है परन्तु पद सृजित नहीं है ।

उपरोक्त तीनों अवस्था में अतिथि प्रवक्ता बुलाने पर रूपये 150/-प्रति कालांश की अनुमति दी गई थी ।

उपरोक्त पत्र सुस्पष्ट है । वस्तुस्थिति से कोष कार्यालय को अवगत करा कर बिल पारीत करावें ।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा.

क्रमांकः-एफ-8(1)(प्राशिनि/ई-1/सी-3/ 3032-3051 दिनांकः-29/03/2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, कोटा
2. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय,

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा.

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर ।

क्रमांकःएफ–8(1)प्राशिनि/ई–1/सी–5/ 11780-83 दिनांकः– 16.9.06

प्रधानाचार्य,
राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
अजमेर/अलवर/बीकानेर/खेतान जयपुर/कोटा/जोधपुर/
पाली/बाड़मेर/सिरोही/चित्तौडगढ/सवाई माधोपुर/बांसवाडा/
श्री गंगानगर/चुरू/राजसमन्द/झालावाड़/नीमराणा (अलवर)/
सीकर ।

प्रधानाचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
जयपुर/~~उदयपुर~~/अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/
सांगानेर(जयपुर) ।

विषयः–राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में आयोजना मद में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि प्रवक्ताओं से शैक्षणिक कार्य करवाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्रांक प.8(14)त.शि./2006 दिनांक 22.08.2006 एवं 26.08.2006 की प्रति संलग्न कर लेख है कि आयोजना मद में, स्वीकृत एवं रिक्त पद पर राज्य सरकार के उपरोक्त पत्र में प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए अतिथि प्रवक्ताओं के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था करावे तथा आवश्यक राशि के लिये प्रस्ताव मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय को प्रेषित करें ।

भवदीय,

संलग्नः– दो ।

16/9/06
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांकःएफ–8(1)प्राशिनि/ई–1/सी–5/ 11784 दिनांकः– 16.9.06
प्रतिलिपिः– मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय को पूर्व प्रेषित यू.ओ.नोट क्रमांक 8(1–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/11530 दिनांक 07.09.2006 के क्रम राज्य सरकार के पत्र की प्रतियां संलग्न कर निवेदन है कि राज्य सरकार के पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप संवेतन मद से पी.पी.एस. मद में Reappropriation हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करावे ।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 8(14)त.शि./2006 जयपुर, दिनांक : 22 अगस्त, 2006

8643
29/8/06

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान,
जोधपुर।

विषय :- नियमित शैक्षणिक स्टाफ के द्वारा संस्था समय के अतिरिक्त समय में शैक्षणिक कार्य 150/- रूपये प्रतिघण्टा अतिरिक्त भत्ता भुगतान कर कार्य करवाने बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक ( )प्राशिनि/ई-1/सी-5/9020 दिनांक 12.7.2006

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अंशकालीन आधार पर शैक्षणिक कार्य करवाने के लिए 150/- रूपये प्रति कालांश की दर से निम्नानुसार शर्तों पर सहमति प्रदान की जाती है :-

1. Guest Faculty हेतु नियमित स्टाफ से कार्य नहीं लिया जावेगा अर्थात जो नियमित सेवा में है उनके अलावा ही Guest Faculty के रूप में कार्य करवाया जावे।

2. अत्यावश्यकता होने की स्थिति में ही Guest Faculty ली जावे।

3. प्रति Guest Faculty को 7950/- रूपये प्रति माह प्रति व्यक्ति तक की सीमा में व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4. RPSC में भेजे गये पदों की संख्या अर्थात प्लान में 177 एवं नॉन प्लान में 35 कुल 212 रिक्त पदों पर ही Guest Faculty लगाई जावे एवं RPSC से चयनित अभ्यर्थी आने पर तुरन्त हटा दिया जावे।

5. AICTE Norms से ज्यादा शैक्षणिक भार के लिए Guest Faculty नहीं लगाई जावे।

6. भुगतान इस हेतु PPS मद में उपलब्ध बजट से किया जावे एवं राशि की और आवश्यकता होने पर Reappropriation हेतु प्रस्ताव किया जावे।

कृपया आपके स्तर से संबंधित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्रधानाचार्यो को उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित करें तथा संवेतन मद से PPS मद में Reappropriation हेतु शीघ्र प्रस्ताव प्रेषित करें।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनके आई.डी. कमांक 2276 दिनांक 22 अगस्त 2006 के द्वारा प्राप्त कर जारी की जा रही है।

भवदीय,

(एस.के. सिंह)

विशेषाधिकारी, त.शि.

प्रतिलिपि वित्त (व्यय-1) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

विशेषाधिकारी, त.शि.

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक: एफ8(14)तशि/2006 जयपुर, दिनांक : 26 अगस्त, 2006

:: **संशोधन** ::

निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान को इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनाक 22 अगस्त, 2006 द्वारा राजकीय पॉलीटेकनीक संस्थानों में अंशकालीन आधार पर 150/- रूपये प्रति धंटे की दर पर अतिथि प्रवक्ताओं से शैक्षणिक कार्य करवाये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त कम में समसंख्यक पत्र दिनांक 22.8.2006 का विषय निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

'' विषय :- राजकीय पॉलीटेकनीक महाविद्यालयों में अतिथि प्रवक्ताओं से शैक्षणिक कार्य करवाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।''

आज्ञा से,

Sd/-

(एस. के. सिंह)
विशेषाधिकारी, त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर को इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 22 अगस्त,2006 के संदर्भ में प्रेषित है।
2. वित्त (व्यय-1) विभाग ।

विशेषाधिकारी, त.शि.

78
13/9/07 2400

3.10.06
525

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर ।

क्रमांकः एफ-8(1)प्राशिनि/ई-1/सी-5/ 11090-932

दिनांकः- 21/09/2006

प्रधानाचार्य,
राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
अजमेर/अलवर/बीकानेर/खेतान पो. जयपुर/कोटा/जोधपुर/
पाली/बाड़मेर/सिरोही/चित्तौड़गढ़/सवाई माधोपुर/बांसवाड़ा/
श्री गंगानगर/चुरू/राजसमन्द/झालावाड़/नीमराणा(अलवर)/सीकर।

प्रधानाचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
जयपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/सांगानेर(जयपुर) ।

विषयः राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में आयोजना मद में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि प्रवक्ताओं से शैक्षणिक कार्य करवाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में ।

-=::::=-

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 11760-83 दिनांक 16.09.2006 के क्रम में लेख है कि आयोजना मद में स्वीकृत एवं रिक्त प्रवक्ता पदों पर ही अतिथि प्रवक्ताओं के माध्यम से शैक्षणिक कार्य कराने की व्यवस्था करावें, अन्य शैक्षणिक पद (यथा वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विभागाध्यक्ष) के स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध उक्त कार्य नहीं करवाया जावे ।

भवदीय

उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा.

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 8(14)त.शि./2006 जयपुर, दिनांक : 1 अक्टूबर, 2007

निदेशक (शिक्षा),
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर।

विषय :- आयोजना भिन्न मद में स्वीकृत शेष रिक्त पदों को भरने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त करना तथा इन पदों पर अतिथि प्रवक्ता लगाये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक : एफ 8(1)प्राशिनि/ई-1/सी-5/5641 दिनांक 6.7.2007

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आयोजना भिन्न मद में स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध उपलब्ध बजट प्रावधान में 15.00 लाख रूपये की सीमा के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था/शर्तों के अनुसार गेस्ट फेकल्टी लगाये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

1. गेस्ट फेकल्टी आवश्यकता पड़ने पर ही काम में ली जावेगी।
2. गेस्ट फेकल्टी हेतु नियमित स्वरूप से कार्य नहीं लिया जायेगा, अर्थात जो नियमित सेवा में हैं, उनके अतिरिक्त ही गेस्ट फेकल्टी के रूप में कार्य करवाया जाये।
3. रूपये 150/- प्रति कालांश की दर से भुगतान देय होगा एवं प्रति गेस्ट फेकल्टी को 7950/- रूपये मासिक प्रति व्यक्ति की सीमा में व्यय किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर इन्हें तुरन्त हटा दिया जावेगा।
5. AICTE नोर्म्स से ज्यादा शैक्षणिक भार गेस्ट फेकल्टी पर नहीं लगाया जाये।

उपरोक्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावे। यह स्वीकृति वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त कर जारी की जा रही है जो कि उनके आई.डी.क्रमांक : 2375 दिनांक 29.9.2007 के द्वारा प्राप्त की गई है।

भवदीय,

(गजेन्द्र सिंह)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि वित्त (व्यय-1) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप शासन सचिव

BC 14 22/3/10

(5)

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 8(14)त.शि./2006 जयपुर, दिनांक : 26 फरवरी, 2010

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
रेजीडेन्सी रोड,
जोधपुर।

विषय :– अतिथि प्रवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में। 2375/c

संदर्भ :– आपका पत्रांक : एफ 8(1–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/12071 दि 4.12.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि अतिथि प्रवक्ताओं को पारिश्रमिक रूपये 150/– से 250/– रूपये प्रति घण्टे की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है, कि अतिथि प्रवक्ताओं को एक दिवस में अधिकतम तीन कालांश एवं एक माह में अधिकतम 50 कालांश की सीमा निर्धारित रहेगी।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग के आई.डी.संख्या 101000018 दिनांक 25.2.2010 के द्वारा सहमति प्राप्त कर जारी की जा रही है।

भवदीय,

(आर.के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी, त.शि.

14/3

प्रतिलिपि वित्त (नियम) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।

विशेषाधिकारी, त.शि.

TECH. EDUCATION
2584
15/3/10

FEBRUARY-2010 (Letters) Room No.1243 Secretariat, Jaipur Tele-0141-2227498 osd_te@yahoo.co.in

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक:एफ–8(1–ए)प्राशिनि / ई–1 / सी–5 / 4501-38 दिनांक:– 17/4/13

प्रधानाचार्य,
राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
.....समस्त.....

प्रधानाचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
.....समस्त.....

विषय:–गेस्ट फेकल्टी पीरियड एवं मानदेय सीमा में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक प.8(14)त.शि. /2006 दिनांक 11.04.2013 की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि तदनुसार पालना करने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

संलग्न:– एक।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांक:एफ–8(1–ए)प्राशिनि / ई–1 / सी–5 / **दिनांक:–**

प्रतिलिपि निम्न को उक्त स्वीकृति की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त निदेशक, (सी–1 / ई–2), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
3. सहायक निदेशक (सांख्यिकी), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 8(14)त.शि. / 2006

जयपुर, दिनांक : 11 अप्रैल, 2013

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
रेजीडेन्सी रोड,
जोधपुर।

विषय :— गेस्ट फैकल्टी पीरियड एवं मानेदय सीमा में वृद्धि करने के संबंध में।
संदर्भ :— आपका पत्रांक : एफ 8(1—ए)प्राशिनि / ई—1 / सी—5 / 463 दि 11.1.2013

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार आपके द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में अतिथि प्रवक्ता (Guest Faculty) को एक दिवस में अधिकतम 03 कालांश के स्थान पर 05 कालांश एवं एक माह में अधिकतम 50 कालांश के स्थान पर 80 कालांश तथा अधिकतम मासिक मानदेय की सीमा रूपये 20,000 / — किये जाने की अनुमति इस शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है कि उक्त सेवाऐं As service contract ली जावेगी एवं उक्त राशि के अलावा अन्य कोई दायित्व राज्य सरकार का नहीं होगा।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय—1) विभाग के आई.डी.क्रमांक : 151300434 दिनांक 10.4.2013 के तहत प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

भवदीय,

(आर.के.गुप्ता)
संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—1) विभाग को प्रेषित है।

संयुक्त सचिव, त.शि.

For circulation to all Polytechnic colleges.
25/4 15/4.

DIRECTORATE OF TECH EDUCATION
JODHPUR
R. No. 3289
DATE 15/4/13

15/4

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 8(14)त.शि. / 2006 जयपुर, दिनांक : 15 मार्च, 2013

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
रेजीडेन्सी रोड,
जोधपुर।

विषय :– अंग्रेजी विषय के अध्यापन हेतु अतिथि प्रवक्ता की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक : एफ 8(1–ए)प्राशिनि / ई–1 / सी–5 / 462 दिनांक 11.1.2013

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापन कार्य करवाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित प्रवक्ता उपलब्ध होने तक अतिथि प्रवक्ता के रूप में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यताधारी से अतिथि प्रवक्ता की सेवायें लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DIRECTORATE OF TECH. EDUCATION
JODHPUR
R. R. No. 2391
DATE 15-3-13

15/3/13

भवदीय,

(आर.के.गुप्ता)
संयुक्त सचिव, त.शि.

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक:एफ–8(1–ए)प्राशिनि / ई–1 / सी–5 / 3390- 3426 दिनांक:– 15-3-13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजकर लेख है कि केवल अंग्रेजी विषय के अध्यापन हेतु अतिथि प्रवक्ता के रूप में उक्त अनुमति के अनुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था सुनिश्चित करावे:–

1. प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,..।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय,..।

15/3/13 (A.K. Chauhan)
संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा